

डिकी बमूकदमें इबतदाई
(आदेश 20 नियम 6,7 जाका दीवानी)
अज अदालत (उपखण्ड अधिकारी) मुकाम जायल जिला-नागौर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत-झाड़ेली

मु०न०२३५/२०१८

वादीगण-

1. रामचन्द्र पुत्र भंवरुराम
2. श्रवण पुत्र भंवरुराम
3. चुकी पत्नी स्व.भंवरुराम
4. कैलाशी पुत्री भंवरुराम
5. गणेशी पुत्री भंवरुराम
6. भागीरथ पुत्र लच्छाराम
7. गुमानराम पुत्र लच्छाराम
8. पुसाराम पुत्र लच्छाराम
9. हरकंवरी पुत्री लच्छाराम
10. गेका पुत्री लच्छाराम
11. चौथी पुत्री लच्छाराम
12. सीता पुत्री लच्छाराम तमाम जाति जाट निवासीगण झाड़ेली एवं रामपुरा व तहसील जायल जिला नागौर।

वनाम

प्रतिवादीगण-

1. लच्छाराम पुत्र नानुराम जाति जाट निवासी झाड़ेली/रामपुरा व तहसील जायल व जिला नागौर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

वाद बाबत बंटवाडा खेताय घोषणा खेताय अन्तर्गत धारा 53 व 88

राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक :-20.06.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूवरु हमारे व हाजरी वादी व प्रतिवादी स्वयं की उपस्थिति मे हुकम दिया जाता हैं व डिगरी दी जाती हैं कि :-

1. वादी संख्या 1 व 2 के सामलाती के हक वंट में मौजा झाड़ेली का खेत ख नं 390/1 रकवा 40 बीघा में से 35.01 बीघा पश्चिमी भाग व मौजा रामपुरा व के खेत ख नं 353 रकवा 46.03 बीघा में से 13.01 बीघा मध्य भाग नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. वादी संख्या 5 के हक वंट में मौजा झाड़ेली का खेत ख नं 390 रकवा 112.16 बीघा में से 36.09 बीघा मध्य भाग व मौजा रामपुरा व के खेत ख नं 353 रकवा 46.03 बीघा में से 13.02 बीघा उत्तरी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. वादी संख्या 6 के हक वंट में मौजा झाड़ेली का खेत ख नं 390/1 रकवा 40 बीघा में से 03.03 बीघा पूर्वी भाग व मौजा रामपुरा व के खेत ख नं 353 रकवा 46.03 बीघा में से 20 बीघा पश्चिमी भाग नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
4. वादी संख्या 7 के हक वंट में मौजा झाड़ेली का खेत ख नं 390 रकवा 112.16 बीघा में से 49.11 बीघा पूर्वी भाग नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
5. वादी संख्या 6 व 8 के सामलाती हक वंट में मौजा झाड़ेली का खेत ख नं 390 रकवा 112.16 बीघा में से 0.08 बीघा रास्ते हेतु नजरीनकशानुसार रखी गयी है।
6. वादी संख्या 9 से 12 व प्रतिवादी संख्या 1 के सामलाती हक वंट में मौजा झाड़ेली का खेत ख नं 390/1 रकवा 40 बीघा में से 1 बीघा पश्चिमी भाग नजरीनकशानुसार वादी संख्या 1 व 2 से चिपता रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार जायल को डिकी पर्चा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु तहरीर जारी हो।

लीज x मुबलिक x बाबत x खर्चा इस मुकदमें मय नूद व शहर x फीस सदी सालाना आज की तारीख,तारीख यमूल योगो तक x को अदा करें। बत्तीब मेरे दस्ताखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 20.06.2018 को जारी किया गया।

बन्ध सदस्य
राजस्व लोक अदालत
जायल (नागौर)

(सरिन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर